

न्यायालय सहायक कलक्टर(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी-श्री प्रमोद कुमार,आर.ए.एस.

राजस्ववाद संख्या :- 69/2021

वादीगण

बनाम

प्रतिवादीगण

1. तालब पुत्र सुभान
2. इसाक पुत्र सुभान जाति मुसलमान
कुम्हार निवासी सणपा मानजी
तहसील सिणधरी जिला बालोतरा

1. बाबु पुत्र रहमान
2. इब्राहिम पुत्र गफूर
3. सुलेमान पुत्र गफूर
4. हनीफ पुत्र गफूर
5. जनू पुत्री गफूर
6. मरियम पत्नि गफूर जातियान
मुसलमान कुम्हार निवासी सणपा
मानजी तहसील सिणधरी जिला
बालोतरा।
7. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
1955

उपस्थिति-

1. श्री भवंरलाल सारण अधिवक्ता वादीगण की ओर से उपस्थित
2. प्रतिवादी एकरतफा

निर्णय


दिनांक- 01.02.2023

संक्षेप में वाद के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है,कि खातेदारी भूमि खसरा संख्या 57 कुल रकबा 13.4537 हैक्टेयर मौजा सणपा मानजी पटवार मण्डल सणपा मानजी तहसील सिणधरी जिला बाडमेर भूमि के संबंध में प्रस्तुत वाद दिनांक 28.07.2022 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार सिणधरी को मौके पर पक्षकारान का कब्जा काश्त अर्वाइ मिटस एण्ड बाउण्ड विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु भिजवाने हेतु अधिकृत किया गया था। तहसीलदार सिणधरी द्वारा माफिक प्राथमिक डिक्री अनुसार मौके का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर उपलब्ध करवाया। जिसे उपस्थित पक्षकारान की ओर से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया गया।


लिहाजा वादी का वाद एवं प्रतिवादी सं. 1 का प्रतिदावा अंतिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम सणपा मानजी तहसील सिणधरी की खेत खसरा संख्या 57 भूमि के संबंध में विभाजन पक्षकारान के मध्य निम्न प्रकार किया जाता है।

क. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा हैक्टेयर	किस्म	लगान	बरंग
1	तालब पुत्र सुभान जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	57	2.2423	बा.दो.	0.14	हरा
2	इसाक पुत्र सुभान जाति मुसलमान कुम्हार सा. देह खातेदार	57	2.2423	बा.दो.	0.13	पीला
3	बाबु पुत्र रहमान जाति मुसलमान कुम्हार सा.देह खातेदार	57	4.4846	बा.दो.	0.27	लाल
4	सुलेमान इब्राहिम हनीफ, जनू पि. गफूर मरियम पत्नि गफूर जाति मुसलमान कुम्हार सा.देह खातेदार	57	4.4845	बा.दो	0.27	आसमानी

तहसीलदार,सिणधरी को आदेशित किया जाता है,कि वह उपरोक्तानुसार नामांतरकरण भरकर बाद जांच तस्दीक करें,संलग्न नामांतरकरण की पुस्त पर तरमीम अंकित करे, राजस्व रिकॉर्ड में विधिवत रूप से अमल दरामद की कार्यवाही करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा । डिग्री पर्चा मुर्तिब जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना -अपना वहन करें ।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 01.02.2024 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.)सिणधरी